न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–15.11.19

मिसल संख्या:–317/2016

दीवानी दावा :

1. सरदारा पुत्र भूरा जाति रेबारी निवासी नयागांव गोठड़ा, तहसील दूनी, जिला टोंक
2. श्रीमती राजी पत्नी सरदारा निवासी नयागांव गोठड़ा, तहसील दूनी, जिला टोंक

–वादीगण –

बनाम

1. गणेश पुत्र नन्दा जाति मीणा निवासी नयागांव गोठड़ा, तहसील दूनी, जिला टोंक
2. शंकर पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी नयागांव गोठड़ा, तहसील दूनी, जिला टोंक

– प्रतिवादीगण –

–उपस्थिति –

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात खाता संख्या 311 ख0 नं0 811 रकबा 0. 35है0, वाके ग्राम नयागांव गोठड़ा पटवार हल्का चान्दसिंहपुरा, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है जिसके वादीगण एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण बहुत ही शरारती व लड़ाकू झगड़ालू किस्म के लोग है जिनका कि उक्त आराजी से किसी प्रकार से कोई संम्बन्ध व सरोकार कतई नहीं है तथा उनका कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिवादीगण भू–माफिया गिराहे के लोग है जो कि गरीब, मजबूर लोगो की जमीनो पंर जबरन लट्ठ के जोर पर कब्जा कर लेते है और फिर उसे हडप़ कर लेते है। प्रतिवादीगण नजायज रूप से वादीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर हड़पना चाहते है और वादीगण के उपयोग–उपभोग में आये दिन बाधा पैदा करते है और मजामहत करते है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण को उनके अवैध कृत्य से रोकने के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिये पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नौकर, चाकर या अन्य दीगर व्यक्ति के वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि जिसके हाल ख. नं. 811 रकबा 0.35 है0 है जिसमें वादीगण ने फसल काश्त कर रखी है में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में फसल काटने, बोने , हांकने में, उपयोग–उपळीग में कोई बाधा व मजामहत पैदा नहीं करे व पाबन्द रहे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर प्रतिवीदगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

2

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी सरदारा पुत्र भूरा जाति रेबारी निवासी नयागांव गोठड़ा पेश किया। दस्तावेज प्रदर्श कराये जिसमें प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस,जमाबन्दी संम्वत 2067–70 प्रदर्श–2 पेश किये है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2067–70 में वादी खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद व बहस अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी के उक्त हिस्से के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न करते है। वादी द्वारा उक्त आराजी में खातेदार की हैसियत होने के आधार पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात खाता संख्या 311 ख0 नं0 811 रकबा 0. 35 है0, वाके ग्राम नयागांव गोठड़ा पटवार हल्का चान्दसिंहपुरा, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे, जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा न करे तथा वादी को बेदखल नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली